



संख्या: 4431 / यू०पी०एच०डी०बी० / DW-24 / 2025

दिनांक 31 / 12 / 2025

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से ई-निविदा सूचना टू-बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से ई-निविदा सूचना निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाइन निविदायेँ आमन्त्रित की जाती है, जो निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खण्ड कार्यालयों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खोली जायेंगी। कार्यों की मात्रायेँ बी०ओ०क्यू० के अनुसार होंगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद मथुरा के विभिन्न राजकीय हाईस्कूलों/इण्टर कालेजों में मल्टीपरपज हाल, पुस्तकालय एवं स्वच्छ पेयजल का निर्माण कार्य। (पैकेज-1)	155.19 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	3.10	4500.00 + GST 18%	06 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-02
2	जनपद मथुरा के विभिन्न राजकीय हाईस्कूलों/इण्टर कालेजों में मल्टीपरपज हाल, पुस्तकालय एवं स्वच्छ पेयजल का निर्माण कार्य। (पैकेज-2)	151.66 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	3.03	4500.00 + GST 18%	06 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-02
3	जनपद मथुरा के विभिन्न राजकीय हाईस्कूलों/इण्टर कालेजों में मल्टीपरपज हाल, पुस्तकालय एवं स्वच्छ पेयजल का निर्माण कार्य। (पैकेज-3)	156.20 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	3.12	4500.00 + GST 18%	06 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-02
4	जनपद मथुरा के अलंकार परियोजना के अंतर्गत बी०डी०पी० राजकीय इण्टर कालेज, मथुरा में इन्डोर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य।	397.34 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	8.00	6000.00 + GST 18%	09 माह	श्रेणी-I	निर्माण खण्ड आगरा-02
5	समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद हाथरस के ब्लाक सिकन्दराराऊ में कस्तूरबा गौंधी बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य।	260.31 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	5.30	4500.00 + GST 18%	09 माह	श्रेणी-I	निर्माण खण्ड आगरा-02

निविदा से संबंधित विवरण	क्र०सं०-1, 2 व 3 हेतु तिथि व समय	क्र०सं०-4 व 5 हेतु तिथि व समय
Document Download Start Date	06/01/2026 (03:00 PM)	06/01/2026 (03:00 PM)
Document Download End Date	21/01/2026 (03:00 PM)	30/01/2026 (03:00 PM)
Bid Submission Start Date	06/01/2026 (03:00 PM)	06/01/2026 (03:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	21/01/2026 (03:00 PM)	30/01/2026 (03:00 PM)
Technical Bid Opening Date	22/01/2026 (01:00 PM)	31/01/2026 (01:00 PM)
Financial Bid Opening Date	After valuation of Technical Bid	After valuation of Technical Bid

नियम व शर्त :- ई-निविदा हेतु

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अलग-अलग निम्नलिखित विवरण के अनुसार Bid Submission/Closing Date से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। संबंधित आर०टी०जी०एस० के यू०टी०आर० नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०-01 पर अंकित निविदा हेतु खाते का विवरण:-

Name of Holder :- Executive Engineer Construction Division-30,
U.P.Housing & Development Board, Office Complex
Sector-13, Sikandra Yojna, Agra

A/C No. :- 21156130649

IFSC No. :- IDIB000U532

Name of Bank :- INDIAN BANK AGRA
Branch UPAVP Sector-4, Agra

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर धनराशि प्रोसेसिंग शुल्क से संबंधित आर०टी०जी०एस० के यू०टी०आर० नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई संशोधन अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

AE

5. उक्त कार्यों में से कुछ कार्यों हेतु सम्बन्धित विभाग से धनराशि तद्दिनांक तक प्राप्त नहीं है, धनराशि प्राप्त होने के बाद ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
6. शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रेट/बैलास्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15/10/2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी जमा नहीं करती है, तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
7. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।
8. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व निविदादाताओं द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया जाये। बाद में स्थल सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
9. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टाम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
11. निविदादाताओं/फर्मों को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की जमानत धनराशि आवास आयुक्त (म०) के कार्यालय आदेश संख्या-2539/अभियन्त्रण अनुभाग/परफॉर्मेन्स सिक्वोरिटी/01 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-आगरा-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा के पक्ष में बनवाकर जमा करनी होगी।
12. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया के दौरान या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
13. निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
14. निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
15. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयको से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 तत्समय प्रभावी शासनादेश/परिषद आदेश के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 इनवॉयस प्रस्तुत करने के उपरान्त अलग से भुगतान किया जायेगा।
16. निविदादाता द्वारा बिजली कार्य, दीमक रोधी व ब्रिक कोवा कार्य हेतु पंजीकृत होने अथवा उसके द्वारा रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर बिजली कार्य एवं दीमक रोधी कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों से कार्य कराने का शपथ पत्र एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
17. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
18. जमानत धनराशि कार्य समाप्ति अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगन की तिथि, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद तीन वर्ष तक होगी, जिसके लिये कार्य की लागत का 1.00 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।
19. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद/उ०प्र० जल निगम की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करायें जायेंगे।
20. खण्ड द्वारा अपलोड किये गये तकनीकी एवं वित्तीय बिड के समस्त प्रपत्रों को हस्ताक्षर उपरान्त अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। जी0पी0डब्ल्यू-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
21. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
22. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण-पत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
23. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
24. शासनादेश संख्या-522/23-2012-2 ऑडिट/08 टी0सी0-2 दिनांक 08/06/2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दरें देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी :-
(I) 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।
(II) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।
न्यूनतम दरदाता द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि वित्तीय बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में एफ0डी0आर0 के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आगरा के नाम बन्धक हो, जमा करानी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
25. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
26. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

27. तकनीकी बिड के चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होगी तथा चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज यदि सही नहीं पाये जाते हैं, तब प्रथम न्यूनतम दरों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
28. धनराशि शासन से प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा। शासन से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने पर कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
29. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय के जनपद में अर्थात् आगरा वृत्त हेतु जनपद आगरा होगा।
30. स्किल्ड एवं नॉन स्किल्ड श्रमशक्ति (मानव संसाधन) का पंजीकरण कराने, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने स्तर से स्वयं की जायेगी, जिसके लिये परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
31. परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
32. सम्बन्धित विभाग के साथ परिषद द्वारा किया गया एम0ओ0यू0 अनुबन्ध का अविभाज्य भाग होगा तथा एम0ओ0यू0 में निहित समस्त शर्तों/दायित्वों का अनुपालन फर्म द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा।
33. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रू0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1/- का हस्ताक्षरित रेवेन्यू स्टाम्प निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
34. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
35. ई-निविदा अपलोड करते समय सक्षम स्तर से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र एवं वैध हैसियत प्रमाण-पत्र तथा वैध लेबर पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
36. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
37. प्रस्तावित कार्य स्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो कार्य ई-निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
38. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
39. निविदादाता द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे जल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोग किये जा रहे जल का टेस्ट सर्टिफिकेट अनुमोदित संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
40. उक्त कार्य हेतु एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
41. परियोजना को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कराने का दायित्व अनुबन्धक का होगा। अनुबन्ध के अन्तिम देयक का भुगतान परियोजना के हस्तगत कराने के पश्चात् ही किया जायेगा।
42. कोविड-19 के अन्तर्गत कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजेशन/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करना तथा कार्यरत कार्मिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा इत्यादि से सम्बन्धित प्रदूषण का समुचित उपाय करना अनुबन्धक का उत्तरदायित्व होगा।

(अतुल कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0: - 4431

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक (म0), ग्लोबल कन्सल्टेशन एंड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, /अवध विहार/वृन्दावन/प्रोजेक्ट/अयोध्या/बागपत/बुन्देलखण्ड/गाजियाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा को इस आशय से प्रेषित है कि निविदाओं को उपरोक्तानुसार तिथियों से पूर्व राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता

% Secy
AE